डीपी पर्स.I /2010/122/30/1/2008-पर्स.I
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार,
केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003.
दिनांक : 5.1.2010

सेवा में,

सभी शाखा प्रमुख,
के.अ.ब्यूरो की सभी शाखाएं (स्थानीय और बाह्य)

विषय : 01.01.2010 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विभागीय पुलिस उपाधीक्षकों की वरिष्ठता सूची।

महोदय,

मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में 1.1.2010 की स्थिति के अनुसार तैयार की गई सी.बी.आई के विभागीय पुलिस उपाधीक्षकों की वरिष्ठता सूची की एक प्रति संलग्न है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों की सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों को वरियता सूची के विवरणों से चैक कर लें तथा संबंधित अधिकारी को परिचालित किया जाए। इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर तथ्यगत त्रुटियों तथा आपत्तियों को यदि कोई सूची में पाई जाती है, की सूचना मुख्यालय को दी जाए। अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि सूची में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जन्मतिथि तथा शैक्षणिक योग्यता इत्यादि में भूलचूक पाई जाती है तो संबंधित रिकार्ड जो कि एसपी/ डीआईजी द्वारा सत्यापित तथा अनुप्रमाणित हो, की छाया प्रति मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

भवदीय,

जावेद गीला

(एस. जे. एम. गिलानी)
उप-निदेशक (प्रशा.)
के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।

संलग्नक : यथोपरि।

प्रतिलिपि, पुलिस उपाधीक्षकों/सीबीआई की वरीयता सूची की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सभी जोन के मुखिया, के.अ.ब्यूरो (स्थानीय एवं बाह्य) सूचनार्थ।
2. सभी प्रभाग/जोन/अनुभाग/यूनिट/ के.अ.ब्यूरो/मुख्यालय।
3. इंचार्ज सिस्टम डिवीजन, के.अ.ब्यूरो। इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त वरिष्ठता सूची को सीबीआई वेबसाइट पर डालें।

संलग्नक : यथोपरि।